अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय, उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 49–119/2012 अपीलार्थी – मीना देवी रेस्पोण्डेन्ट – बनाम राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1279 दिनांक 31.8.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है। इस अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 25.06.2012 को महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती सरिता कुमारी राय द्वारा त्रिवेणीगंज परियोजना (सुपौल) के केन्द्र सं0– 167 (मयुरवा) वार्ड नं0 – 2 पंचायत कुसहा का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय केन्द्र बंद पाया गया तथा सेविका/सहायिका दोनो अनुपस्थित थी। केन्द्र को बंद पाये जाने एवं सेविका/सहायिका को केन्द्र से अनुपस्थित पाये जाने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1159दिनांक 9.8. 2012 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं दिनांक 25.8.2012 को जिला प्रोग्राम कार्यालय सुपौल में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया निर्धारित तिथि को सेविका श्रीमती मीना देवी ने उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण एवं पक्ष रखा अपने स्पष्टीकरण में सेविका श्रीमती मीना देवी ने बताया कि निरीक्षण के तिथि को मैं केन्द्र पर आई थी तथा केन्द्र का संचालन 8:00 बजे से 12:00 बजे तक की हूँ उक्त तिथि को ही केन्द्र के	

बगल में अष्टयाम (बदरी यादव) के घर पर हो रहा था जिसमें अष्टयाम के आयोजनकर्त्ता बदरी यादव के अनुरोध पर 11:40 में ही बच्चों को पोषाहार देकर छुट्टी देदी गई।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सेविका द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष दिया कि निरीक्षण तिथि को केन्द्र बंद था तथा सेविका द्वारा केन्द्र को बंद कर अष्टयाम (कीर्तन) में बच्चों को भेज देना और यह कहना कि आयोजनकर्त्ता के अनुरोध पर बच्चों को छोड़ा गया है यह प्रदर्शित करता है कि सेविका अपने कार्य के प्रति लापरवाह है, तथा केन्द्र संचालन के प्रति गंभीर नहीं है, बल्कि उदासीन भी है। सेविका को अपने कार्य अवधि में पूरी मुस्तैदी के साथ केन्द्र पर उपस्थित रहकर अपना कार्य संपादित करना चाहिए था लेकिन ऐसा न होकर सेविका ने विभागीय निर्देशों की अवहेलना की है अतः इस अधार पर सेविका के चयन को रद्द करना विभागीय पत्रांक 956 दिनांक 14.3..2012 कंडिका 1 का (1)के तहत सही एवं जायज है।

सेविका द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता के बयान, कागजात का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण तिथि को सेविका/सहायिका केन्द्र पर आई थी तथा बच्चों को पूरक शिक्षा एवं पोषाहार भी दिया गया था चूँकि केन्द्र के बगल में बदरी यादव के घर में अष्टयाम हो रहा था एवं अष्टयाम आयोजनकर्त्ता एवं एक दो और ग्रामीणों के अनुरोध पर केन्द्र को निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट पहले बंद कर देना पड़ा तथा बच्चों भी अष्टयाम देखने की माँग कर रहे थे अष्टयाम देखने के लिए छुट्टी देदी गई एवं केन्द्र 11:40 बजे ही बंद कर देना पड़ा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह बतलाया कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के पारित आदेश के विरूद्ध पूर्व में जिलाधिकारी सुपौल न्यायालय में भी इस अपील की सुनवाई हुई थी जिसमें जिलाधिकारी सुपौल ने अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज से प्रश्नगत केन्द्र के बारे में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन मंतब्य सहित माँग की गई अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज से किया गया। अनुमंडल पदधिकारी त्रिवेणीगंज ने पत्रांक 129 दिनांक 12.3.2013 के द्वारा यह प्रतिवेदित किए है कि निरीक्षण तिथि को भी केन्द्र संचालित हुआ था जो ग्रामीणों ने मुझे बताया एवं सेविका द्वारा आयोजनकर्त्ता के अनुरोध पर केन्द्र को 11:40 बजे तक ही चला कर केन्द्र को बंद कर दिया गया एवं बच्चें अष्टयाम देखने चले गये उन्होंने अपने मंतब्य में यह भी जिक किए है कि केन्द्र सं0–167 मयुरवा दक्षिण के

सेविका को पुनः बहाल किया जाय, जिस पत्र का अवलोकन कराया गया।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि c.w.j.c.No- 18817 /2012 में यह भी पारित आदेश है कि अगर केन्द्र से संबंधित कोई आरोप लगाए जाते है तो इसकी विस्तृत जाँच कर सारी वस्तु स्थिति का पता लगाया जाय। इसी कम में पन्द्रह (15) पोषक क्षेत्र के लाभुको ने एक साथ संयुक्त रूप से एक शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा तैयार दायर किया है जिसमें लाभुक ने लिखा है कि निरीक्षण तिथि को केन्द्र समुचित रूप से संचालित था तथा सेविका श्रीमती मीना देवी केन्द्र को अच्छे ढ़ंग से संचालित करती है हमलोगों के कहने पर ही 11:40 मिनट तक केन्द्र संचालित कर बंद कर दिया गया क्योंकि केन्द्र के बगल में अष्टयाम चल रहा था एवं बच्चे अष्टयाम देखने जाने हेतु उत्सुक थे

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बतलाया कि सेविका द्वारा निर्धारित समय से 40: मिनट पूर्व बच्चों को छोड़ देना वह भी अष्टयाम देखने के लिए दुखद स्थिति है। बच्चों का अष्टयाम में जाना सेविका के कार्य प्रणाली को दर्शाती है कि वे किस प्रकार अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील व/ कियाशील रहती होंगी उन्होंने सेविका के निरीक्षण पंजी का अवलोकन कराया जिसमें महिला पर्यवेक्षिका ने यह जिक्र किए है कि आज आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 – 167 मयुरवा दक्षिणी का निरीक्षण की 11:50 मिनट पर सेविका/ सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित पाई गई सेविका को घर से बुलाना पड़ा केन्द्र पर बच्चों की स्थिति 0 शुन्य पाई गई। उन्होंने इसके सबूत के तौर पर स्कूल पूर्व शिक्षा उपस्थिति पंजी माह– जून 12 का अवलोकन कराया जिसमें दिनांक 25.6.2012 को किसी लाभुक बच्चें का कोई उपस्थिति दर्ज नहीं है उक्त तिथि को पूरी उपस्थिति पंजी में बच्चों की हाजरी काटी हुई है एवं नीचे 25.6.2012 लिखकर पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर भी अंकित है जिसे यह पता चलता है कि 25.6.2012 को कोई भी बच्चे उस केन्द्र पर नहीं आए थे क्योकि अगर वे आते तो सेविका के कथनानुसार (केन्द्र संचालन की अवधि 8:00 बजे से लेकर 11:40 बजे तक) संचालित है तो उनकी हाजरी निश्चित बनी रहती या यूं कहे कि सेविका द्वारा केन्द्र बंद हो जाने के बाद घर पर फर्जी तरीके से हाजरी बनाकर केन्द्र को संचालित दिखाकर पोषाहार की राशि गबन करने का एक माध्यम बनाया जाता है, चूँकि 8:00 से लेकर के 11:40 बजे तक लगभग 4 घंटे में हाजरी का नहीं बनना यह गलत मंशा की ओर ले जाने का संकेत करता है । उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कषों के अधार पर यह कहा

जा सकता है कि सेविका की क्रिया कलाप काफी गंभीर एवं दुखद है एक तरफ तो वह निरीक्षण तिथि को उपस्थिति पंजी में किसी लाभुक का उपस्थिति नहीं बनाई है जो दुखद शर्मनाक स्थिति है दुसरी तरफ यह भी कहती है कि आयोजनकर्त्ता के अनुरोध पर बच्चों को अष्टयाम देखने हेतु केन्द्र को बंद कर भेजी हूँ तो फिर निरीक्षण तिथि को लाभुक बच्चें की उपस्थिति, उपस्थिति पंजी में दर्ज क्यों नहीं की जब कि सेविका/सहायिका ने अपना हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में दर्ज की है? बच्चों की हाजरी बनाने से कोई रोका तो नहीं था, फिर क्यों नहीं बनाया गया यह दायित्व उनका नहीं था क्या? या उनका मंशा खराब था यह जो दर्शाता है कि उस तिथि को केन्द्र कुछ समय के लिए ही खुला था, बच्चे नहीं आए थे, अष्टयाम होने के बहाने केन्द्र को समय से पहले बंद कर दिया गया था। गंभीर स्थिति को बताती है। सेविका/ सहायिका का मुख्य दायित्व यह है कि पोषक क्षेत्र के लाभुक बच्चों को निर्धारित समय तक समझा बुझाकर, आँखे दिखाकर, पुचकार कर, निर्धारित समय तक समुचित केन्द्र संचालन करना लाभुक बच्चों को अपने कन्ट्रोल में रखना। निर्धारित अवधि में उन्हें पूरक शिक्षा एवं पोषाहार भी देकर केन्द्र से घर विदा करना भी इसका दायित्व है। हाँ यह बात सही है कि पोषक क्षेत्र के लोगो ने यह लिखकर दिया है कि सेविका मुस्तैदी के साथ कार्य करती है हम ग्रामीणों के कहने पर ही बच्चों को अष्टयाम देखने हेतु भेजी है किन्तु यहाँ जो ज्ञात हो रहा है कि सेविका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल(After-thought) कर कुछ ग्रामीणों के द्वारा यह शपथ पत्र तैयार करा लिया है कि सेविका का कार्य अच्छा है। इन्हें एक और मौका देकर पुनः बहाल किया जाय।

किन्तु यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि सेविका को अब राहत देने की आवश्यकता नहीं है चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रत्येक दिन कभी फेरी वाला कभी कपड़ा वाला कभी खिलौना वाला, कभी अष्टयाम, कभी कीर्त्तन, कभी मुहर्रम,जुलूस अगल– बगल होते रहते है, तो बच्चें के जिद्द, हठी के कारण निर्धारित समय से पूर्व लाभुक बच्चों को छोड़ देना ये बाते नियमतः न्यायसंगत नहीं है। कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आाया था, चूँकि सरकार का यह प्रोग्राम उन्हीं बच्चों के विकास व उनके उन्नति के लिए बनाया गया है, फिर इसमें किसी भी प्रकार की कोताही उदासीनता न्यायसंगत नहीं है।

अतः सेविका द्वारा उनके कार्यप्रणाली में शिथिलता व उदासीनता बरतने, निर्धारित समय तक उपस्थित पंजी में लाभुक बच्चों की उपस्थिति न बनाने , लाभुक बच्चों की संख्या प्रर्याप्त कारण

	यथावत बनाये रखने का निर्देश देती है यहाँ विभागीय मार्गदर्शिका 2120 दिनांक 20.6.2012 के कंडिका A :1(2) के तहत कार्रवाई की जरूरत है। इसमें किसी भी राहत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लेखापित एवं संशोधित 6.1.2015 उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा 6.1.2015 उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल,सहरसा	